कार्यालय—नगर परिषद,भभुआ

पत्रांक 857 दिनांक 17-11-2018

प्रेषक,

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद,भभुआ

सेवा में,

स्थानीय लेखा परीक्षक बिहार
महालेखाकार भवन
बीरचन्द्र पटेल मार्ग, पटना—800001

विषयः— स्थानीय लेखा परीक्षक बिहार पटना के वार्षिक लेखा परीक्षा का प्रतिवेदन वष—2015—16 से 2016—17 तक के अनुपालन प्रतिवेदन का प्रेषण।

प्रसंग— विभागीय पत्रांक—सं0,एल0ए0 / एस0एस0—1 / श0स्था0नि0 / 14739 / 52 दिनांक—11.06.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में सादर सूचित करना है कि महालेखाकार लेखापरीक्षा बिहार पटना के स्थानीय लेखा परीक्षा के वार्षिक प्रतिवेदन में उठायी गई आपतियों का कंडिकावार / वर्षवार—2015—16 से 2016—17 तक अनुपालन प्रतिवेदन साक्ष्य के साथ सलंग्न कर भवदीय सेवा में समर्पित की जा रही है।

अनुलग्नकः— यथोपरि।

कृपया प्राप्ति स्वीकार की जाय।

विश्वासभाजन

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद,भभुआ

ज्ञापांक 857 दिनांक 17-11-2018

प्रतिलिपिः—सरकार के विशेष सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद,भभुआ

कार्यालय–नगर परिषद,भभुआ

नगर परिषद् भभुआ के वर्ष–2015–2016 से 2016–17 के लेखाओं पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या–738/17–18 उठाये गये अंकेक्षण आपतियों के विरूद्व विभिन्न कंडिकाओं का अनुपालन प्रतिवेदन।

वर्ष	कंडिका सं0	कंडिका में उठाये गये विन्दुओं का उल्लेख	प्रतिवेदन
2015–2016 से 2016–17 तक	01.	भवन नक्शा श्रम सेस की वसूली नहीं। (राशि–रू14.35 लाख)	इस कार्यालय पत्रांक 849 दिनांक–16.11.2018 एवं पत्रांक–855 दिनांक–17.11.18 के द्वारा वित्तीय वर्ष–2015–16 एवं 2016–17 में पारित भवन निर्माण संबंधित स्वीकृति करने का श्रम शेष वसूली हेतु श्रम विभाग के द्वारा वसूली की कार्रवाई की जा रही है। साक्ष्य के रूप में वित्तीय वर्ष 2015–16 के श्रम शेष वसूली हेतु निर्गत पत्र की छायाप्रति संलग्न की जा रही है।
	02.	बगैर सशक्त स्थायी समिति की स्वीकृति के कर्मी के वेतन का भुगतान किया जाना (राशि–रू 3.21 लाख)	इस संबंध में दिनांक–30.03.2015 को नगर परिषद् बोर्ड के बैठक के प्रस्ताव सं0–02 में विभागीय निदेशानुसार मैन पावर कर्मियों के भुगतान हेतु सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आलोक में भुगतान करते हुए उक्त कर्मियों की सेवा वापस कर दी गई है। अतः उक्त साक्ष्य के आलोक में कंडिका 02 में उठाये गये आपति को विलोपित करने की कृपा की जाय।
	03.	3कम/नही जमा–(राशि–रू 0.37 लाख)	इस संबंध में श्री उज्जवल कुमार पाण्डेय कम्प्यूटर ऑपरेटर नगर परिषद् भभुआ से कार्यालय पत्रांक–805 दिनांक–29.10.2018 के द्वारा अंकेक्षण आपति के आलोक में संबंधित राशि जमा होने से संबंधित साक्ष्य के साथ मांग की गई है।
	04.	अंकेक्षण के दौरान जमा की गई (राशि–रू 0.18 लाख)	इस संबंध में अंकेक्षण दल द्वारा उठाये गये आपति के आलोक में भविष्य में विलम्ब से संग्रहित राशि जमा किये जाने पर कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। साक्ष्य के रूप में चेतावनी पत्र की संख्या–804 दिनांक–290.10.2018 को जारी पत्र की छायाप्रति संलग्न की जा रही है। अतः उक्त कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाय।
	05	फाईबर डस्टबीन एवं हैन्डट्राली की खरीद में त्रुटि राशि (राशि–रू 129.77 लाख)	1. फाईबर डस्टबीन एवं हैन्डट्राली की क्रय नियमानुकूल राज्य जनसम्पर्क विभाग (P.R.D) के माध्यम से वजापते विज्ञापन के द्वारा किया गया है। साक्ष्य के रूप में दैनिक सामाचार में प्रकाशित विज्ञापन की छायाप्रति संलग्न की जा रही है। जहॉतक बिहार वित्त नियमावली की घारा (H) 131 के नियमपालन का प्रश्न है इस संबंध में (P.R.D) अपने माध्यम से किन किन संस्थाओं को सूचित करेगें। वह उनका एकल क्षेत्राधिकार में आता है। 2. इस संबंध में अंकेक्षण दल को प्रस्तुत संचिका में डस्टबीन

Attested

			अधिष्ठापन का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया था साथ ही शेष सामग्रियों का प्रमाण स्वरूप भंडार पंजी के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। साक्ष्य के रूप में भंडार पंजी के अंकित सामग्रियों का प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न की जा रही है। अतः उक्त कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाय।
	06.	एल.ई.डी. स्ट्रीट लाईट/हाई मास्ट लाईट की खरीद में त्रुटि (राशि–रू56.88 लाख)	1. एल0ई0डी0 स्ट्रीट लाईट/हाईमासट लाईट की खरीद में अंकेक्षण दल द्वारा उठाये गये आपति के अनुपालन में कहना है कि दैनिक सामाचार पत्रों क्रमशः प्रभात खबर एवं दैनिक जागरण दैनिक सामाचार पत्रों में निविदा का प्रकासन हुआ है जो क्रमशः 23.07.2015 एवं 24.07.2015 के है साक्ष्य के रूप में प्रकाशित निविदा का दैनिक सामाचार पत्रों की छायाप्रति साक्ष्य के रूप में संलग्न की जा रही है। 2. जहाँ तक भंडार पंजी का उल्लेख किया गया है वह अंकेक्षण दल को वाजप्ते संचिका प्रमाण स्वरूप प्रत्येक वार्डो में अधिष्ठापन से संबंधित सत्यता का प्रमाण पत्र निर्वाचित वार्ड पार्षदों के द्वारा सत्यापन किया गया था। उक्त सामग्रि का ईद्राज भंडार पंजी में किया गया है वो प्रस्तुत भी किया गया है जो साक्ष्य के रूप में भंडार पंजी एवं वार्ड पार्षदों के द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र का छायाप्रति संलग्न किया जा रहा है। जहाँ तक बिहार वित्त नियमावली की घारा 131 (H) का उल्लेख किया गया है। वह कंडिका 05 में वर्णित है। अतः उक्त कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाय।
	07.	मुद्रांक शुल्क की राशि संबंधित शीर्ष में जमा नही (राशि–रू 0.93 लाख)	इस संबंध में कार्यालय पत्रांक–853 दिनांक–.17.11.2018 के द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में मुद्रांक शुल्क की राशि संबंधित शीर्ष में मो0 0.93 लाख जमा हेतु आदेश दिया गया है। उक्त आदेश के आलोक में रोकड़पाल नगर परिषद् भभुआ के द्वारा चेक सं0–**A840541** दिनांक–17.11.2018 के द्वारा संबंधित शीर्ष में जमा कर दिया गया है। साक्ष्य के रूप में चेक की छायाप्रति संलग्न की जा रही है। अतः उक्त कंडिका का विलोपन साक्ष्य के आलोक में करने की कृपा की जाय।
	08.	बन्दोवस्ती में राजस्व की हानि (राशि–रू 0. 93 लाख)	जहाँ तक बंदोवस्ती में राजस्व की हानि का विषय है इस सन्दर्भ में दिनांक–30.03.2015 को नगर परिषद् वोर्ड के बैठक के प्रस्ताव सं0–04 में लिए गये निर्णय के आलोक में टीन टीकट में बैल गाड़ी टमटम इत्यादि साथ ही ताड़ के पेड पर से हो रहे सैरात बंदोवस्ती को भी वित्तिय वर्ष–2015–16 से रदद् कर दिया गया है। साक्ष्य के रूप में उक्त बोर्ड में लिए गये प्रस्ताव की छायाप्रति संलग्न की जा रही है। अतः उक्त कंडिका का विलोपन साक्ष्य के आलोक में करने की

Attested

			कृपा की जाय।
	09.	विलम्ब शुल्क की कटौती नही करने से अधिक भुगतान (राशि–रू 0.65 लाख)	योजना संख्या–26/2016–17 योजना का नाम भभुआ चैनपुर रोड से अशोक सिंह के धर तक पी0सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण वार्ड नं0–03 भभुआ के संन्दर्भ में में कहना है कि कार्यादेश की तिथि से कार्य पूर्ण करने के तिथि के अन्दर ही योजना पूर्ण संवेदक द्वारा कर ली गई थी। जहॉ तक भुगतान विलम्ब होने का विषय है नगर परिषद् में कार्यरत कनीय अभियंता नरेन्द्र कुमार सिंह के द्वारा उक्त कार्य का अनुश्रवण किया जा रहा था जो दुर्भाग्यवश उनकी सड़क दुर्धटना में मृत्यु हो गई थी। इस संबंध में अंकेक्षण दल को अवगत भी कराया गया था। नगर परिषद् भभूआ में दुसरे कनीय अभियंता की प्रतिनियुक्ति में हुई विलम्ब के कारण मापी पुस्तिका कार्यालय में आने में विलम्ब हुई जिसके कारण भुगतान की कार्रवाई में विलम्ब हुई है। स्व0 नरेन्द्र कुमार सिंह कनीय अभियंता नगर परिषद् भभुआ की मृत्युप्रमाण पत्र की छायाप्रति साक्ष्य के रूप में संलग्न की जा रही है। अतः उक्त कारण एवं साक्ष्य के आलोक में कंडिका में उठाये गये विन्दुओं को विलोपित करने की कृपा की जाय।
	10.	योजना में अनियमित /अधिक भुगतान (राशि–रू 1.21 लाख)	इस संबंध में कहना है कि जहॉ तक योजना में अनियमित/अधिक भुगतान की आपति अंकेक्षण दल द्वारा उठायी गई है। बी0ओ0क्यु में प्रावधानित व्यय में किसी सामग्री के स्थल पर कार्य की आवश्यकतानुसार वही बढी हुई है एवं किन्ही सामग्री में कम व्यय भी हुआ है। इस योजना अन्तर्गत एकरारनामा राशि से एक रूपया अधिक भुगतान नही किया गया है। इस प्रकार अधिक राशि 50880. 00 रूपये का उल्लेखित राशि का अधिक व्यय किसी प्रकार से नही किया गया है। अतः उक्त कंडिका को विलोपित करने की कृपा करने की कृपा की जाय।
	11.	मोबाईल टावरों पर बकाया राशि (राशि रू 102.00 लाख)	मोबाईल टावर के बकाया वसूली हेतु मोबाईल टावर के स्वामियों को नोटिस जारी किया गया है। साक्ष्य के रूप में नोटिस तामिला की छायाप्रति इस पत्र के साथ संलग्न की जा रही है।
	12.	अव्यवहृ/अवरोधित राशि (राशि रू 34.78 लाख)	तैयारी की जा रही है।
	13.	अग्रिम की राशि का समायोजन नही (राशि–रू 2.00 लाख)	अग्रिम राशि रू0 2.00 लाख में 1.00 लाख की राशि की अग्रिम का सामायोजन कर लिया गया है। 1.00 लाख की सामायोजन हेतु कार्रवाई की जा रही है।

Attested

	14.	राष्ट्रीय शहरी आजिविका मिशन के तहत विभिन्न स्वयं सहायता समूह को प्रदान राशि (राशि–रू 1.10 लाख)	तैयारी की जा रही है।
	15.	31.03.2017 को रोकड़बही एवं बैंक पासबुक का अंतशेष की विवरणी	तैयारी की जा रही है।

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद,भभुआ